

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/306/2021-22/ 11(आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 06.12.2022

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
देवघर।
मुख्य अनुदेशक, म०कि०प्र० केन्द्र, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो० 17,70,000/-रु० मात्र (सतरह लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० सं० 20 आ० (वि०) दिनांक 08.04.2022 एवं ऑनलाईन आवंटन सं० 220 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं० 01 (आ०) 11.04.2022, आवंटन सं० 10 (आ०) दिनांक 21.09.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० 20 आ० (वि०) दिनांक 08.04.2022 एवं ऑनलाईन आवंटन सं० 220 के आलोक में मो० 17,70,000/-रु० मात्र (सतरह लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र निम्न विवरणी अनुरूप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

क्र०	स्थापना का नाम	वेतन	सेमिनार/ समारोह/ कार्यशाला	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050000101 000101	53S2405000010 1000321	
1	2	3	4	5
1	मु० अनु०, म०कि०प्रशि०के०, राँची	0	200000	200000
2	जि० म० पदा०-सह-मु० कार्य० पदा०, देवघर	1570000	0	1570000
	कुल आवंटन	1570000	200000	1770000

मो० सतरह लाख सत्तर हजार रुपये मात्र।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं०-245/बजट/दिनांक 30.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ ट्रेजरी एम०आई०एस० से अवश्य मिलान (रिकान्सिलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 22-23 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।

6. असमायोजित अग्रिम, एल०पी०सी०/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।

7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. सामग्री का क्रय जेम अथवा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर ही किया जाये। पूर्व स्टोर/स्टॉक पंजी का तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय। Dead/Useless सामग्री का निष्पादन स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय।

9. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मियों से होगी।

(ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

10. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

11(317)
06/12/2022

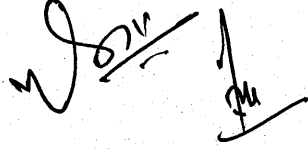
विश्वासभाजन

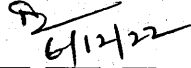
6/12/22
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/306/2021-22/ 11 (अ०) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 06.12.2022

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, रॉची /उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/306/22-23III/11

दिनांक - 06-Dec-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64722	DGRFSHE83 DEEPANKAR SHIT DIST.FISHERIES OFFICER DGR 01 - वेतन	1,570,000.00 रुपये पंद्रह लाख सत्तर हजार
2	S 53 24050000101000321 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64723	DRNFSH011 PRASHANT KUMAR DEEPAK CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: रुपये सत्रह लाख सत्तर हजार

1,770,000.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000101	53S24050000101000321	Total
					बैतल	सेनितार/समापके/कार्यपाल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deoghhar	DGRFSHE83	Deepankar Shit	Dist. Fisheries Officer Dgr	₹15,70,000.00 (64722)	₹0.00	₹15,70,000.00
2	Doranda	DRNFSH011	Prashant Kumar Deepak	Chief Instructor F.F.Tc Ranchi	₹0.00	₹2,00,000.00 (64723)	₹2,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹17,70,000.00 (1 = १ यूनिट IRR) रुपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

11/12/2022
06/11/2022